सं0सं0–1/प0अ0–07/2017– 126(i)स्वा०

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

सच्चिदानन्द चौधरी,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

अधीक्षक,
पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल,
पटना।

पटना, दिनांक–21/03/2018

विषयः– **पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को विपत्र कोड–20–2210011100001 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में वेतन एवं भत्ते मद में कुल रू0 1,10,00,000/–(रुपये एक करोड़ दस लाख) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना के पत्रांक–2675, दिनांक–20.03.2018 के आलोक में पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना को विपत्र कोड–20–2210011100001 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में वेतन एवं भत्ते मद में कुल रू0 1,10,00,000/–(रुपये एक करोड़ दस लाख) मात्र के अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति निम्नरुपेण दी जाती है–

बजट शीर्ष	बजट उपबंध	पूर्व का कुल संयुक्त आवंटन	प0मे0कॉ0अ0 को वर्तमान आवंटन	प0मे0कॉ0अ0 को कुल आवंटन	अद्यतन कुल संयुक्त आवंटन	शेष राशि
0001.01.01 वेतन	554270000	525702500	6000000	525702500	531702500	22567500
0001.01.03 जीवन यापन भत्ता	712827000	664620250	3300000	661120250	667920250	44906750
0001.01.04 मकान किराया भत्ता	50700000	44025000	1000000	43725000	45025000	5675000
0001.01.05 परिवहन भत्ता	18500000	15575000	500000	15540000	16075000	2425000
0001.01.06 चिकित्सा भत्ता	4692000	4219000	100000	4099000	4319000	373000
0001.01.07 अन्य भत्ता	15972000	13579000	100000	13564000	13679000	2293000
योग– वेतन एवं भत्ते	**1356961000**	**1267720750**	**11000000**	**1263750750**	**1278720750**	**78240250**

2. यह आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561/वि०(2) दिनांक–17.04.1998, 2880/वि०(2) दिनांक–06.05.06 एवं 2938/वि0(2), दिनांक–08.04.08 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है एवं इनके प्रावधानों के अनुपालन की जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अधीक्षक, पटना चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, पटना होंगे तथा नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।

4. इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या–20, मुख्य शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–01–शहरी स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–110–अस्पताल तथा औषधालय–0001–पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल, विपत्र कोड–20–2210011100001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 में उपबंधित राशि से की जाएगी।

5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृत बल के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्त एवं पदस्थापित कर्मियों का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे।

क्रमशः

6. आवंटित राशि की व्यय विवरणी कोषागार प्रमाणक संख्या एवं तिथि सहित प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। चालू वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवंटन से किये गये व्यय का महालेखाकार, बिहार, पटना द्वारा सत्यापित कराकर सत्यापित प्रतिवेदन भी विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। महालेखाकार का सत्यापित प्रतिवेदन अप्राप्त होने की स्थिति में किसी प्रकार की वित्तीय अनियमितता प्रकाश में आने पर इसकी सारी जवाबदेही आपकी होगी।

7. इस आवंटन से पूर्व के बकाये का भुगतान किया जा सकता है। न्यायादेश से आच्छादित मामलों में बकाये के भुगतान में प्राथमिकता दी जाय। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी लंबित दायित्वों के भुगतान के पूर्व यह सुनिश्चित हो लेगें कि बकाये की निकासी पूर्व में नहीं की गई है और दावा नियमानुकूल है।

8. इस राशि की निकासी जिला कोषागार, पटना से की जाएगी।

9 इसकी प्रति महालेखाकार, बिहार, पटना को दी जा रही है।

10. इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

विश्वासभाजन

21/3/18

(सच्चिदानन्द चौधरी)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक–1/प0अ0–07/2017– 126(1)स्वा0 /स्वा0, पटना, दिनांक–21/03/2018

प्रतिलिपिः– महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, पटना/जिलाधिकारी, पटना/कोषागार पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा–1), स्वास्थ्य विभाग के निजी सहायक/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–1 एवं कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

21/3/18

सरकार के विशेष सचिव